

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1939 (श0)

(सं0 पटना २४९) पटना, मंगलवार, २८ मार्च २०17

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

अधिसूचनाएं 27 मार्च 2017

एस0ओ0 18, दिनांक 28 मार्च 2017—भारत के संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय भोजशाला के समूह 'घ' के पदों के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

- **1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** (1) यह नियमावली ^{*} बिहार सचिवालय भोजशाला समूह—'घ' नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना तक होगा।
 - (3) यह तूरन्त प्रवृत्त होगी।
 - 2. परिभाषाएँ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
 - (i) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;
 - (ii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है श्रमायुक्त, बिहार, पटना ;
 - (iii) 'विभाग' से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग ;
 - (iv) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है श्रमायुक्त, बिहार नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय भोजशाला समूह 'घ' के संवर्ग;
 - (v) 'संवर्ग नियंत्री प्राधिकार' से अभिप्रेत है श्रमायुक्त, बिहार, पटना;
 - (vi) 'चयन समिति' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-6 में गठित चयन समिति।
- 3. संवर्ग का गठन । यह संवर्ग बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना तक सीमित रहेगा। इस नियमावली के लागू होने से पूर्व बेकर, मशालची, सहायक हलुवाई, सहायक रसोईया एवं टी—मेकर के पद पर कार्यरत कर्मी मूल कोटि के सहायक कारीगर पद में, सर्विस ब्वॉय, वाशिंग ब्वॉय, वियरर एवं हेड सर्विस ब्वॉय के पद पर कार्यरत कर्मी मूल कोटि के बेटर पद में, विक्रेता, हेल्पर एवं ट्रेजरी सरकार के पद पर कार्यरत कर्मी मूल कोटि के विक्रेता पद में, आदेशपाल, चपरासी—सह—चौकीदार एवं गेट मेन के पद पर कार्यरत कर्मी मूल कोटि के चौकीदार पद में निहित माने जायेंगे।
- 4. प्राधिकृत बल एवं वेतनमान । सरकार इस संवर्ग में पदों की प्राधिकृत संख्या अवधारित कर सकेगी तथा इसके अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी, अथवा किसी पद को स्थगित या रिक्त रख सकेगी, जिसके कारण छॅटनीग्रस्त होने पर इस संवर्ग का कोई भी सदस्य क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। स्वीपर का पद

आउटसोर्सिंग से भरा जायेगा। स्वीपर पद पर कार्यरत कर्मी के सेवानिवृत्ति के पश्चात् उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।

संवर्ग के विभिन्न पदों / कोटि के कर्मियों का वेतनमान सरकार द्वारा, समय—समय पर, अवधारित वेतनमान के अनुरूप होगा।

- 5. आरक्षण । नियुक्ति / प्रोन्नित में राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, अवधारित आरक्षण नीति / रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। रिक्तियों का आकलन प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को करने के पश्चात् ही वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लीयर करवाकर आरक्षण कोटिवार अनुशंसित पैनल से नियुक्ति की जा सकेगी।
- 6. भर्ती । समूह 'घ' के पदों पर सीधी भर्ती मूल कोटि के पदों पर होगी। इस संवर्ग के अन्तर्गत अनुसूची 'क' में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्नवत किया जाएगा—
 - (i) श्रमायुक्त, बिहारअध्यक्ष।
 - (ii) संयुक्त श्रमायुक्त, बिहारसदस्य।
 - (iii) अनु० जाति/अनु० जनजाति/अल्पसंख्यक एवं महिला कोटा के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून एक पदाधिकारीसदस्य।
- (iv) प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशालासदस्य सचिव। चयन समिति जॉचोपरान्त योग्य उम्मीदवारों की एक सूची तैयार कर प्रशासी विभाग को सौंपेगी। चयन की प्रक्रिया का अवधारण विभाग द्वारा किया जाएगा।
 - 7. अहर्ता । उम्मीदवारों की सीधी भर्ती हेतु योग्यता / शर्ते निम्नलिखित होंगी—
 - (i) उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होगी।
 - (ii) भारत सरकार / बिहार सरकार / अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वेटर / कुक / फुड एण्ड बेवरेज सर्विस / आतिथ्य एवं पर्यटन के लिए न्यूनतम छः माह का प्रशिक्षण प्रमाण—पत्र अथवा श्रम विभाग के दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत 100 या उससे अधिक कर्मचारियों के लिए निबंधित / मान्यता प्राप्त होटल / रेस्तरॉ / गेस्ट हाउस / रेस्ट हाउस में पद के अनुरूप न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव अथवा बिहार विधान मंडल के न्यूनतम 10 सत्रों में आकरिमक मजदूर के रूप में कार्य करने का अनुभव।
 - (iii) उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विनिष्चित किया जाएगा। नियमित नियुक्ति में वर्त्तमान में अथवा पूर्व में कार्य कर चुके आकस्मिक मजदूरों को वेटेज देते हुए उम्र सीमा में छूट दी जा सकेगी। सत्रावधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रत्येक सत्र के लिए 6 माह की दर से नियुक्ति की उम्र सीमा में छूट दी जा सकेगी। यह छूट अधिकतम 15 वर्षों की होगी किन्तु शैक्षणिक अर्हता में कोई शिथिलीकरण अनुमान्य नहीं होगा।
- 8. परिवीक्षा अवधि /सम्पुष्टि । नविनयुक्त कर्मी की परिवीक्षा अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने और उक्त अवधि में सेवा संतोषप्रद होने पर, नियुक्ति प्राधिकार सेवा सम्पुष्ट करेंगे। यदि परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं हो तो परिवीक्षा अवधि लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी, परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्षों से अधिक की नहीं होगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर उन्हें सेवामुक्त किया जा सकेगा।
- 9. प्रशिक्षण । विभाग द्वारा अपेक्षित समय—समय पर निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षणोपरान्त उत्तीर्णता के आधार पर क्रमशः समूह 'घ' के मूल कोटि—3 से कोटि—2 एवं कोटि—2 से कोटि—1 पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
- 10. प्रोन्नित । (1) अनुसूची— 'क' में उल्लेखित कोटि के पदों पर प्रोन्नित, विभागीय प्रोन्नित समिति की अनुशंसा के आधार पर की जा सकेंगी।
- (2) विभिन्न कोटि में प्रोन्नित की अनुशंसा हेतु विभागीय प्रोन्नित समिति का गठन निम्निलेखित को मिलाकर किया जाएगा :--
 - (क) श्रमायुक्त, बिहार, पटना.....अध्यक्ष।
 - (ख) श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारीसदस्य।
 - (ग) श्रम संसाधन विभाग में उपलब्ध अनु० जाति/अनु० जनजाति/अल्पसंख्यक एवं महिला कोटा के एक पदाधिकारी.....सदस्य।
 - (घ) संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी भोजशाला......सदस्य सचिव।
 - (ड.) प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला.....सदस्य।
- (3) प्रोन्नित में आरक्षण अधिनियम / कालावधि संबंधी नियम / अनुदेशों के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

- (4) समूह 'घ' के कर्मी जो निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं, वे श्रमायुक्त, बिहार के अधीन के पद पर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा विहित प्रकिया के अनुरुप प्रोन्नति पा सकेंगे।
 - 11. वरीयता । समूह 'घ' के मूल कोटि के सभी पदों की संयुक्त वरीयता सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवधारित मानदण्डों के अनुसार श्रमायुक्त, बिहार द्वारा तैयार की जाएगी।
- 12. अवशिष्ट मामले । राज्य सरकार के अन्य कर्मियों की सेवा शर्ते, अनुशासन, छुट्टी, रूपान्तरित वृति उन्नयन आदि के संबंध में, प्रवृत्त सभी नियम, अनुदेश आदि समान रूप से इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
- 13. कितनाइयों का निराकरण एवं निर्वचन । जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधानों में कोई संदेह उत्पन्न होगा, वहाँ इस विषय पर श्रमायुक्त, बिहार का विनिष्चय अंतिम होगा।
- **14. निरसन एवं व्यावृत्ति ।** (1) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व इस संवर्ग के प्रसंग में निर्गत सभी संकल्प / अनुदेश एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प/अनुदेश के अधीन किया गया कुछ भी या कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

अनुसूची 'क'

| क्रमांक | कोटि–3 (मूल कोटि का पद) | कोटि—2 (प्रथम प्रोन्नित का पद) | कोटि—1 (द्वितीय प्रोन्नति का पद) |
|---------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | सहायक कारीगर | कारीगर | हेड कारीगर |
| 2 | वेटर | वेटर | हेड वेटर |
| 3 | विक्रेता | विक्रेता | हेड विक्रेता |
| 4 | चौकीदार | चौकीदार | हेड चौकीदार |

(सं0 2 / बी०एस०सी०ई०1—1025 / 2009 श्र0सं0—1169) बिहार—राज्यपाल के आदेश से,, दीपक कुमार सिंह, सरकार के प्रधान सचिव।

27 मार्च 2017

एस0ओ० 19, एस0ओ० 18, दिनांक 28 मार्च 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के नियम—348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

(सं0 2 / बी०एस०सी०ई०1—1025 / 2009 श्र0सं0—1170) बिहार—राज्यपाल के आदेश से,, दीपक कुमार सिंह, सरकार के प्रधान सचिव।

The 27th March 2017

- S.O. 18, dated the 28^{th} March 2017—In exercise of powers conferred under proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is pleased to make the following Rules for the posts of Group 'D', The Bihar Secretariat Canteen:-
- **1. Short title, extent and commencement- (1)** These Rules may be called as "Bihar Secretariat Canteen Group 'D' Rules, 2017."
 - (2) It shall extend to the Bihar Secretariat Canteen, Patna.
 - (3) It shall come into force immediately.
 - 2. Definitions- In these rules, unless otherwise requires in the context-
 - (i) 'State Government' means, Bihar State Government;
 - (ii) 'Appointing Authority' means, the Labour Commissioner, Bihar, Patna;
 - (iii) 'Department' means, the Labour Resource Department, Bihar;
 - (iv) 'Cadre' means, the Group 'D' Cadre of Bihar Secretariat Canteen under the control of Labour Commissioner, Bihar;
 - (v) 'Cadre Controlling Authority' means, the Labour Commissioner, Bihar, Patna;

- (vi) 'Selection Committee' means the Selection Committee constituted under the rule-6 of these Rules.
- 3. Cadre Structure This cadre shall be confined to the Bihar Secretariat Canteen. the employee working as Baker, Mashalchi, Assistant Halwai, Assistant Cook and Tea-Maker before the implementation of these Rules will deemed be rested in the post of 'Assistant Karigar' of basic category the employee working as Service Boy, Washing Boy, Bearer and Head Service Boy will deemed to be rested in the post of 'Waiter' of basic category the employee working as Salesman, Helper and Treasury Sarkar will be rested in the post of 'Salesman' of basic category the employee working as orderly, Peon-cum-Choukidar and Gateman will be deemed to be rested in the post of 'Choukidar' of Basic Category.
- **4. Authorized Strength and Pay Scale-** The Government may determine the authorised number of posts in this cadre and also create the permanent and temporary posts besides this, or put any post under suspension or vacant, due to which no member of this cadre will be entitle to claim compensation on retrenchment. The post of 'Sweeper' will be filled up by outsourcing. The post of sweeper will come to an end automatically with the retirement of the employee working on the post of sweeper.

The pay scale of the employee working on different categories posts of this cadre will be in confirmity with the pay scale determined by the government from time-to-time.

- **5. Reservation-**It will be compulsory to follow the provisions of reservation policy/roster determined by the government, from time-to-time in the appointment and promotions. The appointment may be made from the panel recommended reservation wise according to the clearance of roster Register of the actual and possible vacancies after calculation of vacancies on 1st April of every year.
- **6. Recruitment-** (1) Direct appointment to the posts of Group 'D' will be on the posts of basic categories.

A selection committee will be constituted as follows for the purpose obtaing recommendation for appointment to the posts of this cadre mentioned in schedule 'A'

- (iii) One representative from the SC/ST. minority and woman quota, not below the rank of Joint Secretary.......Member
- (iv) Manager, Bihar Secretariat CanteenMember Secretary

The selection committee will hand over a list after verifying the suitable candidates to the department. The process of selection will be determined by the department.

- **7. Qualifications**–For direct appointment of the candidates, qualifications/conditions will be the following:-
 - (i) Minimum educational qualifications of the candidates will be matric pass or equivalent;
 - (ii) Minimum six months training certificate from any recognized institute of Indian Government/Bihar Government/any State Government for the post of Waiter/Cook/Food and Beverage Service/Hospitality and Tourism; or minimum three years of work experience in any registered/recognized hotels/restaurants/guest house/rest house for 100 or more employees under the Shops and Establishment Act of Labour Department, or Minimum Working experience of ten sessions of Bihar Legislature for the casual labours.

- (iii) Minimum age of the candidates will be 18 years and the maximum age will be the same as may be determined by the government, from time-to-time. Age relaxation may be given in direct appointment to the casual labours who are working or had worked earlier during sessions. Age relaxation may be given at the rate of six (6) months for every session to those who have worked during sessions. This relaxation will be maximum for 15 years but no relaxation will be allowed in educational qualification.
- **8. Probation Period/Confirmation-** The probation period will be for two years from the date of appointment for the newly appointed employee. The appointing authority will confirm the appointment after the successful completion of probation period and satisfactory service period. If the Service is not satisfactory in the probation period. The probation period may be extended for another one year for the reasons to be, recorded in writing Total probation period can not be more than three years. He may be removed from service, if his service is not satisfactory in the extended period.
- **9. Training-** It will be essential to participate in the training programme held by the department from time-to-time. Promotion may be given from the post of basic category-3 to category-2 and from category to category-1 respectively of Group 'D' on the basis of passing of the training.
- **10. Promotion-** (1) Promotion may be given to the posts of the categories mentioned in schedule 'A' on the basis of recommendation of Departmental Promotion Committee.
- (2) Departmental promotion committee will be constituted for the recommendation of the promotion in the different categories consisting of the following:-
 - (a) Labour Commissioner, Bihar, Patna......Chairman

 - (c) An officer from SC/ST, minority and women quota from the Labour Resources

 Department.......Member
 - (d) Joint Labour Commissioner, Bihar-cum-senior controlling officer,
 - Canteen.....Member -Secretary
 - (e) Manager, Bihar Secretariat Canteen......Member
- (3) It will be essential to follow the provisions of The Reservation Act Rules/Instructions relating to kalawadhi.
- (4) The employee of Group 'D' who have the qualifications for the appointment to the
- post of Lower Division Clerk, may get promotion in confirmity with the process prescribed by General Administration Department of Bihar Government, to the posts under the control of Labour Commissioner, Bihar.
- **11.Seniority-** Joint seniority list of all posts of basic categories of Group 'D' will be prepared by the Labour Commissioner according to the criterion determined by the General Administration Department.
- 12. Residuary Matters- All rules, instructions etc forced will be applicable in respect of Service-conditions, discipline, leave, modified career progression given to other employees of the state government shall be applicable equally to the members of this cadre.
- 13. Removal of Difficulties— Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provision of these rules, the decision of the Labour Commissioner, Bihar, after consultation with The Law Department shall be final on this matter.
- **14. Repeal and Savings-** (1) All resolutions and instructions issued earlier before the implementation of these Rules are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said resolutions, instructions shall be deemed to have been done or taken under these rules as if these Rules were in force on the day on which such things or action was done or taken.

SCHEDULE-'A'

| Sl | Category-3 Posts of | Category-2 | Category-3 |
|-----|-----------------------|-------------------|--------------------|
| No. | Basic Category | First Promotional | Second Promotional |
| | | Post) | Post) |
| 1 | Assistant Karigar | Karigar | Head Karigar |
| 2 | Waiter | Waiter | Head Waiter |
| 3 | Salesman | Salesman | Head Salesman |
| 4 | Choukidar | Choukidar | Head Choukidar |

(No.2/B.S.C.E01-1025/2009 L&R-1169) By order of the Governor of Bihar, DIPAK KUMAR SINGH, Principal Secretary to the Government

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 249-571+200-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in